(215)

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
ब्लाक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
(मुख्य कार्यालय–59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक / 1376 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012 दिनांक 08 / 02 / 2012

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनाओं का लाभ अन्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि पर दिये जाने बाबत् दिशा निर्देश।

संदर्भः परिषद का पत्र क्र. 2506 / एमजीएनआरईजीएस–एमपी / एनआर–3 / एसई–1 / 2011 दि. 04.03.2011 ।

मनरेगा अंर्तगत संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग के ऐसे हितग्राही, जो नवीन जिलों के गठन उपरांत जिनका निवास एक जिले के ग्राम में एवं भूमि दूसरे जिले के ग्राम में हो जाने से लाभ नहीं ले पा रहे थे, को किसी एक जगह का जाबकार्डधारी होने के विकल्प के साथ लाभ लेने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण विभाग के संदर्भित पत्र से किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों में जाबकार्डधारक परिवार एवं उसकी भूमि समान ग्राम पंचायत में होने पर हितग्राहीमूलक उपयोजना का लाभ दिये जाने का लेख किया गया है। अतएव विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2011 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राही की निजी स्वामित्व की भूमि अन्य ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिले के ग्रामीण क्षेत्र में होने पर या एक से अधिक स्थलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व निवास होने पर उसे किसी एक जगह हितग्राहीमूलक उपयोजना का लाभ इस शर्त के साथ प्राप्त होगा कि "हितग्राही को MGNREGA का जॉबकार्ड वापस कर जिस क्षेत्र में जमीन है उसी ब्लाक / जिले का कार्ड लेना होगा तभी हितग्राही मूलक योजना का लाभ मिल सकेगा।" संबंधित हितग्राही को हितग्राही मूलक कार्य का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ उसके द्वारा या जाबकार्ड में अंकित उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दोहरा लाभ नहीं लिया जा रहा है, इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न कर ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्तानुसार लाभ प्राप्त किये जाने हेतु विभाग के संदर्भित पत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(216)

पृ.क्रमांक / 1372 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012 दिनांक 08/02/2012

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश,
2. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल समस्त मध्यप्रदेश,
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की भूमि व निवास एक से अधिक ग्रामों में होने पर हितग्राही मूलक कार्यो का लाभ लेने हेतु घोषणा

मेरे द्वारा ग्राम ....ग्राम पंचायत..............................जनपद पंचायत................ जिला....................में स्थित मेरी निजी स्वामित्व की भूमि जिसका खसरा क्र................................. कुल रकबा ....हेक्टेयर हैं। इस भूमि में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत .... हितग्राहीमूलक कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं ....पिता का नाम..जाबकार्ड क्र. .... यह घोषणा करता हूं कि मेरे व मेरे जाबकार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों द्वारा किसी अन्य जिले या जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत .... कार्य का लाभ नहीं लिया है। यदि मेरे या मेरे जाबकार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त कार्य का दोहरा लाभ लिया जाना पाया जाता है तब उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा एवं राज्य शासन मुझसे इस तरह लिये गये लाभ की वसूली कर सकेगा।

स्थान..........................

दिनांक..........................

....

....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर **हितग्राही कृषक का नाम, हस्ताक्षर व पता**

नोटः –उक्त घोषणा पत्र 10/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत में हितग्राही मूलक कार्य के आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावें।